मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2012

क्र0--एफ--4--101/1996/1--25 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11/06/2007, 16/07/2009, 26/10/2009 एवं 06/05/2010 द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के दिनांक 16/06/1993 तक नियुक्त ऐसे सभी शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याता जिन्होंने स्वयं के व्यय पर सेवाकाल के दौरान विभागीय अनुमति प्राप्त कर बी.एड./बी.टी. आई. की उपाधि या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, दो वेतनवृद्धि स्वीकृत की गयी है। उक्त समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुये राज्य शासन यह आदेश जारी करता है कि:--

1. दिनांक 16.06.1993 के पूर्व के नियुक्त ऐसे समस्त सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याता जिनके द्वारा सेवा में आने से पूर्व बी.एड./बी. टी.आई. की योग्यता धारण की है, उनको नियुक्ति दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

2. दिनांक 16.06.1993 के पूर्व के नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों जिन्होंने सेवा में रहते हुए दिनांक 23.10.1964 के पूर्व शासकीय/स्वयं के व्यय पर बी.एड./बी.टी.आई. योग्यता धारित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

3. दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुए स्वयं के व्यय पर दिनांक 01.03.1999 के पहले बी.एड./बी.टी. आई. योग्यता अर्जित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्त किसी भी प्रकार के शिक्षक को जिन्होंने बी.एड./बी.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें किसी भी स्थिति में दो अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

4. स्वयं के व्यय पर बी.एड./बी.टी.आई. करने का तात्पर्य यह होगा कि, शिक्षक के द्वारा अपने अर्जित अवकाश/अर्द्ध वेतन अवकाश/असाधारण अवकाश आदि देय अवकाशों का नियमानुसार उपभोग कर अंशकालीन/दूरस्थ पद्धति या पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

5. उपरोक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को स्वीकृत की जावेगी जिनके द्वारा बी.एड./बी.टी.आई. की परीक्षा एन.सी.टी.ई. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

--2--

2/ उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के कमांक-08/12/1701/11/नियम/चार दिनांक 04/01/2012 द्वारा दी गई सहमति उपरांत जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एन.के. मुरमकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0क0 विभाग
भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2012

पृ.क.-एफ-4-101/1998/1-25
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री, आदिम जाति तथा अनु.जा.क. विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर टीप क. -8/12/1701/11/नियम/चार, दिनांक 04/01/2012" के अनुकम में सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति तथा अनु.जा.क. विभाग, मंत्रालय।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास भोपाल।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग (विधि प्रकोष्ठ) मंत्रालय, भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर म.प्र.
11. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी /अनुसूचित जाति विकास म.प्र.
12. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र.
13. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण म.प्र.
13. आर्डर बुक/स्थापना

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0क0 विभाग